



बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी, पटना



ई-मेल—pdblda.pat@gmail.com वेबसाइट—ahd.bih.nic.in दूरभाष/फैक्स—0612-2227176

पत्रांक— बी०एल०डी०ए०—58 / 2026..... दिनांक—..... / / 2026

प्रेषक,

विपिन कुमार राय, बि०प्र०से०
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

विषय:— राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राज्य में NAIP (National Artificial Insemination Programme) हेतु कार्यान्वयन अनुदेश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत NAIP (National Artificial Insemination Programme) के केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निदेशों के अनुसार राज्य में क्रियान्वयन किया जाना है।

1. राज्य में इस परियोजना का क्रियान्वयन एवं संचालन परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना एवं नोडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. जिलों में कृत्रिम गर्भाधान कार्य के नोडल पदाधिकारी ही इस परियोजना के तहत जिला के नोडल पदाधिकारी होंगे, जो अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।
3. प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी/प्रखण्ड स्तरीय पशु चिकित्सालय में कार्यरत पशु चिकित्सा पदाधिकारी इस परियोजना के नोडल पदाधिकारी होंगे।
4. कृत्रिम गर्भाधान के कार्य हेतु कृत्रिम गर्भाधान LSA /LSS /MAITRI/ पशु चिकित्सा पदाधिकारी की सक्रिय सहभागिता होगी।
5. योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पशुओं का पशु आधार कार्ड (ear tag) से पहचान करना अनिवार्य है।
6. योजना के तहत लाभुक के द्वार पर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान की जाएगी।
7. निजी कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के लिए भारत पशुधन पोर्टल पर कृत्रिम गर्भाधान का डाटा upload किये जाने पर प्रति स्ट्रॉ रू० 40/- (चालीस रुपये) मात्र (consumable यथा LN, sheath, gloves, transportation एवं storage सहीत) की राशि तथा प्रति कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए राशि रू० 50/- (पचास रुपये) मात्र एवं वत्स उत्पन्न होने पर रू० 100/- (सौ रुपये) मात्र की प्रोत्साहन राशि देय होगी।
8. इस योजना में शामिल सरकारी कृत्रिम गर्भाधान कर्ता या मिल्क फेडरेशन से सैलरी पाने वाले कृत्रिम गर्भाधान कर्ता को किसी तरह की प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।

9. कृत्रिम गर्भाधान के लिए सभी प्रकार के देय प्रोत्साहन राशि तथा स्ट्रों की राशि बी०एल०डी०ए०, पटना द्वारा PFMS के माध्यम से जिलों में संचालित खातों में हस्तांतरित की जाएगी तथा जिला द्वारा RTGS/ Cheque के माध्यम से संबंधित लाभुकों को राशि का भुगतान किया जाएगा।
10. कृत्रिम गर्भाधान कर्ता (मैत्री) के द्वारा किए गए कृत्रिम गर्भाधान कार्य को NDLM पोर्टल पर upload करने के उपरांत अपने NDLM user Id से प्रत्येक माह का रिपोर्ट स्व-अभिप्रमाणित करते हुए ब्लॉक नोडल पदाधिकारी के माध्यम से जिला पशुपालन कार्यालय में समर्पित करेंगे।
11. जिला पशुपालन पदाधिकारी प्राप्त रिपोर्ट को NDLM पोर्टल पर प्रति परीक्षण (Counter check) करते हुए योजना के guideline के अनुरूप भुगतान करेंगे।
12. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना (NADCP) योजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान कर्ता को पशुओं की टैगिंग के लिए रू० 5/- (पाँच रुपये) मात्र की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
13. कृत्रिम गर्भाधान कर्ता (मैत्री)/निजी कृत्रिम गर्भाधान कर्ता को सभी प्रोत्साहन राशि का भुगतान पूरी तरह से भारत पशुधन पोर्टल पर upload किए गए डाटा के आधार पर ही संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा data verification के आधार पर किया जाएगा।
14. सभी निजी कृत्रिम गर्भाधान कर्ता को Bihar Animal Breeding Act-2025 के तहत पंजीकृत कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। उपरोक्त कार्यान्वयन अनुदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

—ह०—

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—बी०एल०डी०ए०—58/2026.....1900....., दिनांक—.....12/.....09...../2026

प्रतिलिपि:—विभागीय आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा सभी संबंधितों को ई-मेल करने) हेतु प्रेषित।

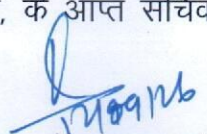
प्रतिलिपि:—सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन बिहार/सभी अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/सभी पशु शल्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी भ्र०प०चि०पदा०, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:—सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, प्रधान आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग बिहार, के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ।


सरकार के संयुक्त सचिव।